आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–53/2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य, पंचायत–कोड़ाकेल, मुरहू, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण सुनवाई में न तो सशरीर उपस्थित हो पाये, न ही ऑनलाइन शामिल हो पाये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देशित करता है कि वे आयोग के दिनांक–04.10.2023 के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत करें। आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग शिकायतकर्ता से भी आग्रह करता है कि यदि संभव हो, तो वे भी व्यक्तिगत रूप से आयोग की सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग के वाट्सएप्प नंबर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx117	